बिहार विधान-सभा वादवृत्त

सरकारी-प्रतिवेदन

(भाग-१ कार्यवाही-प्रश्नोत्तर)

बुधवार, तिथि ३ जनवरी, १९७९ ई०

विषय-सूची ।

		पृष्ठ
प्रश्नों के लिखित उत्तर—बिहार विधान सभा की प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियमावली के नियम संख्या ४ (ii) के परन्तुक के अन्तर्गत सभा मेज पर रखे गये प्रश्नों के लिखित उत्तर—		
तारांकित प्रश्नोत्तर संख्या—५८, ५९, ६०, ७०, ७१, ७४, ४८०, ४८२, ४८३, ४८४, ४८५, ४८८, ४८९, ४९०, ४९१, ४९२, ४९३, ४९७, ५०२, एवं ५१४,	....	१-३२
परिशिष्ट (प्रश्नों के लिखित उत्तर)—	....	३३-२२१
दैनिक निबंध—	....	२२३-२२४

टिप्पणी:—जिन मंत्रियों एवं सदस्यों ने अपना भाषण संशोधित नहीं किया है उनके नाम के आगे ऐसा (®) चिह्न लगा दिया गया है ।

बिहार विधान-सभा बादवृत्त

बुधवार, तिथि ३ जनवरी, १९७९ ई०।

भारत के संविधान के उपबन्ध के अनुसार एकत्र विधान-सभा का कार्य विवरण।

सभा का अधिवेशन पटना के सभा-सदन में बुधवार, तिथि ३ जनवरी १९७९ को पूर्वाह्न ११ बजे अध्यक्ष, श्री त्रिपुरारि प्रसाद सिंह के सभापतित्व में प्रारम्भ हुआ।

*डा० जगन्नाथ मिश्र—हुजूर।

अध्यक्ष—यह बात अनेक बार हो गयी है कि प्रश्नोत्तरकाल में कोई दूसरी बात नहीं उठायी जायेगी।

*श्री ठाकुर प्रसाद—महाशय, सप्तम् बिहार विधान-सभा के चतुर्थ सत्र के २०२ अनागत तारांकित प्रश्नों के उत्तर बिहार विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम संख्या ४ (II) के परन्तुक के अन्तर्गत सदन की मेज पर रखता हूँ।

(सदन की मेज पर रखे गये।)

[xxxx [

तारांकितप्र श्नोत्तर :

सड़क का पक्कीकरण

५८. श्री सदानन्द सिंह—क्या मंत्री, ग्राम्य अभियंत्रणा संगठन विभाग, वह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि भागलपुर जिले के खड़हरा से संथालपरगना जानेवाली सड़क में विभाग द्वारा बेस कोस एवं छोटे-छोटे पुलों के निर्माण का कार्य किया जा चुका है; यदि हां, तो उक्त सड़क के पक्कीकरण एवं मैना नदी पर पुल निर्माण का कार्य कबतक पूरा कर दिया जायेगा ?

पाद टिप्पणी (xxxx) कृपया परिशिष्ट २ देखें

(२) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं तो क्या सरकार उसे कब एकीकरण करने का विचार रखती है, यदि हां, तो कबतक नहीं तो क्यों।

प्रभारी मंत्री, लोक निर्माण विभाग—(१) उत्तर स्वीकारात्मक है।

(२) लोकही बाजार से नरहिया बाजार तक पथ अंश का पक्कीकरण वित्तीय वर्ष १९७९-८० तक कार्यक्रम है। किन्तु नरहिया बाजार से फुलपरास अंश जिसमें दो नदियों पर पुल निर्माण भी सम्मिलित है, के निर्माण का समय सीमा सीमित निधि की उपलब्धता की स्थिति में संभव नहीं है।

नदियों पर पुल

त-२१२। श्री कुलदेव गोईत—या मंत्री, लोक निर्माण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि····

(१) क्या यह बात सही ह कि मधुबनी जिलान्तर्गत लोवहा से महादेव मठ तक जानेवाली सड़क के बीच में घोकरा एवं विहुल नदी पर निर्मित पुल ध्वस्त हो जाने के कारण बरसात में यातायात बन्द हो जाता है;

(२) यदि उक्त खण्ड का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार उक्त सड़क के ऊपर नदियों पर पुल बनवाने का विचार रखती है, यदि नहीं तो क्यों?

प्रभारी मन्त्री, लोक निर्माण विभाग—(१) उत्तर स्वीकारात्मक है।

(२) बरसात के बाद क्षतिग्रस्त लकड़ी के पुलियों की मरम्मती कर यातायात चालू कर दिया जायगा। जहाँ तक उच्चस्तरीय पुलों के निर्माण का प्रश्न है इसका कार्यान्वियन सरकार के विचाराधीन है जो निधि की उपलब्धा के अनुसार किया जा सकेगा

कार्यालय सरकारी भवन में रखना

त-१६९। श्री कैलाशपति सिंह—क्या मंत्री, लोक निर्माण विभाग, यह बतलाने का कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि पुल निर्माण निगम का कार्यालय सरकारी भवन में सचिवालय के निकट रखा गया है तथा उक्त सरकारी भवन के किराये के रूप में पुल निर्माण निगम से सरकार को प्रतिमाह कितनी आमदनी होती है?

प्रभारी मन्त्री, लोक-निर्माण विभाग—प्रश्न के प्रथम खंड का उत्तर स्वीकारात्मक है। इस सरकारी भवन का किराया अभी तक निर्धारित नहीं हुआ अत: आमदनी की राशि तत्काल देना संभव नहीं है।

कागजात निर्गत करना

सा-१११। श्री गोपाल शरण सिंह—क्या मंत्री, स्वास्थ्य विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि—

(१) क्या यह बात सही है कि श्री ब्रजनन्दन प्रसाद शर्मा, सहायक अभियन्ता, ग्राम्य अभियंत्रण संगठन प्रमंडल, सासाराम, परिवार नियोजन ब्यूरो, अभियंत्रण कोषांग, पटना से नवम्बर १९७५ में तबदला हुआ था तथा श्री शर्मा ने श्री एस० ए० कुरैशी, सहायक अभियंता (कोषांग) को प्रभार देकर सासाराम में कार्यभार संभाला;

(२) क्या यह बात सही है कि उक्त कोषांग द्वरा श्री शर्मा के कार्यभार से संबंधित तथा अन्य कागजात निर्गत नहीं होने के कारण श्री शर्मा की सेवा-पुस्तिका में अभीतक अध्यतन प्रविष्ट नहीं हुई है जिसके कारण उन्हें वेतन भुगतान नहीं हो रहा है;

(३) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकरात्मक हैं, तो सरकार कबतक श्री शर्मा के कागजात निर्गत करने का विचार रखती है, ताकि उन्हें वेतन का भुगतान हो सके, यदि नहीं तो क्यों ?

प्रभारी मन्त्री, स्वास्थ्य विभाग—(१) उत्तर नकरात्मक है।

श्री ब्रजनन्दन प्रसाद शर्मा, का स्थानान्तरण लोक निर्माण विभाग द्वारा नवम्बर १९७५ में हुआ परन्तु उन्होंने बिना इस विभाग में पदाधिकारी को प्रभार दिए एवं बिना विरमित हुए ही सहायक अभियन्ता, ग्राम्य अभियंत्रण संगठन प्रमंडल सासाराम के पद पर योगदान किया।

(२) जहाँ तक कार्यभार संबंधित कागजात निर्गत करने का प्रश्न है, उत्तर स्वीकरात्मक है। भुगतान सम्बन्धी विषय ग्राम्य अभियन्त्रण संगठन से सम्बन्धित है।